

जन औषधि खोलने के लिए आवश्यकताएँ



- ❖ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए कम से कम 120 वर्ग फुट की जगह जो कि आवेदक की खुद की हो या किराये पर ली गयी हो। जनऔषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदनकर्ता जगह की स्वयं व्यवस्था करेगा। पीएमबीआई की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- ❖ फार्मासिस्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र, आवेदक के द्वारा जमा कराया जायेगा।
- ❖ यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित किया गया है, तो उसे आवेदन करते समय वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। एक बार आवेदक द्वारा श्रेणी का चयन कर लिए जाने के बाद आवेदक भविष्य में किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
- ❖ आवेदन का शुल्क रु. 5,000/- है जो कि वापस नहीं किया जायेगा। महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, आकांक्षी जिला, उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप समूह में अधिसूचित आवेदकों को आवेदन शुल्क में छूट प्राप्ति है जिसके लिए आवेदकों को वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ❖ देशभर में 31 मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है।
- ❖ दो जन औषधि केंद्रों के बीच की दूरी 1.5 कि. मी. से घटाकर अब 1 कि. मी. कर दी गई है।

आपूर्ति श्रृंखला


जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाली दवाइयों को डब्लू एच ओ - जी एम पी सर्टिफाइड दवा उत्पादक कंपनियों से ही खरीदा जाता है। देश के हर हिस्से में दवाइयां पहुंचाने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था की गयी है जिसके लिए डब्लू एच ओ गाइडलाइन्स पर आधारित केंद्रीय गोदाम गुरुग्राम एवं तीन क्षेत्रीय गोदाम गुवाहाटी, चेन्नई, सूरत एवं बेंगलुरु में हैं। जिनमें लगभग 2,15,000 वर्ग फीट भंडारण क्षेत्र है। इसके अलावा 36 डिस्ट्रीब्यूटर की भी नियुक्ति की गयी गई है जहाँ से देश भर के जन औषधि केंद्रों को दवाइयां मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय गोदाम, क्षेत्रीय गोदाम, डिस्ट्रीब्यूटर एवं जन औषधि केंद्रों को पूरी तरह से SAP आधारित सॉफ्टवेयर से जोड़ा गया है साथ ही साथ सभी केंद्रों पर पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी लगाया गया है जिससे दवाइयों की आपूर्ति ठीक तरह से हो सके एवं देश के किसी भी केंद्र पर दवाइयों की कमी न हो।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए, देश के विभिन्न जिलों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए <http://janaushadhi.gov.in/> पर जायें। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए वेबसाइट पर दिए गए दिशा - निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

अपने मोबाइल पर अपने निकटतम जन औषधि केंद्र का पता लगाएं अभी डाउनलोड करें

जन औषधि सुगम

मोबाइल ऐप



QR कोड
स्केन करें



फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई)
बी-500, रावर बी, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नोरोजी नगर,
नई दिल्ली - 110029

@pmbijppmbi

www.janaushadhi.gov.in

राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन
1800 180 8080
मार्च, 2025



भारत सरकार
रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय
औषधि विभाग



“कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में हजारों जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां दवाएं बाजार दरों से 50 से 80 प्रतिशत तक की कम कीमत पर मिल रही हैं। इनसे न केवल गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग को भी बहुत फायदा हुआ है।”
नरेन्द्र मोदी

सस्ती एवं उत्तम दवाएं, जन औषधि केंद्र से लाएं



प्रधानमंत्री
भारतीय
जन औषधि
परियोजना

एक समृद्ध कल के लिए!

आप भी जन औषधि केंद्र के खुद मालिक बनें

जन औषधि केंद्र कैसे खोलें ?



परिचय

भारत, दुनिया में जेनेरिक दवाइयों के बड़े निर्याताओं में से एक है। ब्रांडेड जेनेरिक दवाइयाँ, जेनेरिक दवाइयों की तुलना में काफी महंगी होती है; लेकिन चिकित्सीय असर दोनों दवाइयों का एक समान ही होता है।

भारत सरकार के रसायन एवं ऊर्वरक मंत्रालय के तहत औषधि विभाग द्वारा इस खर्च को कम करने के लिए कई नियामक और राजकोषीय उपाय समय-समय पर किये जा रहे हैं।

भारत में मिलने वाली 87% दवाइयाँ ब्रांडेड जेनेरिक हैं, यानी, ब्रांड के नाम के साथ बेची जाने वाली जेनेरिक दवाइयाँ। सभी नागरिकों के लिए दवाइयों पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए जेनेरिक दवाइयों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।



प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता

व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा / बी. फार्मा डिग्री होनी चाहिए अथवा किसी डी. फार्मा / बी. फार्मा डिग्री धारक को नियुक्त करना होगा तथा आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी संगठन, एनजीओ इत्यादि को डी.फार्मा /बी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा और आवेदन जमा करते समय या अंतिम स्वीकृति के समय इसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

मेडिकल कॉलेजों एवं सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए मेडिकल कॉलेज एवं सरकारी अस्पताल के प्रबंधन द्वारा चयनित किसी एजेंसी, प्रतिष्ठित एनजीओ/धर्मार्थ संगठन भी पात्र होंगे।

प्राइमरी ऐग्रिकल्चर क्रेडिट सोसायटी (PACS) के अंतर्गत सहकारी-क्षेत्र भी बेहतर कवरेज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए योग्य हैं।

दवाएं एवं अन्य उत्पाद

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 2110 प्रकार की उच्च गुणवत्ता की दवाएं और 315 शल्य चिकित्सा उपकरण एवं विभिन्न प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद जैसे प्रोटीन पाउडर, माल्ट-बेस्ड फूड सप्लीमेंट्स, इत्यादि शामिल है।

इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक उत्पाद जैसे कि च्यवनप्राश, त्रिफला एवं शिलाजीत इत्यादि को भी शामिल किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पीएमबीआई उत्पाद के विस्तार के लिए एफएसएसआई के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी खाद्य उत्पादों और पीएमबीजेपी के तहत कुछ आयुर्वेदिक उत्पादों को शामिल करने पर काम कर रहा है।

इसके साथ ही प्रयोगशाला अभिकर्मकों को छोड़कर आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) में शामिल सभी जेनेरिक दवाएं पीएमबीजेपी दवाओं में शामिल हैं।

वित्तीय सहायता

जन औषधि केंद्र खोलने पर सरकार द्वारा संचालकों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दी जाती है जिसका विवरण निम्न है

1. जन औषधि केंद्र संचालकों को मासिक खरीद पर 20% की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 20,000/- रुपये प्रति माह होगी। इसे दवाओं की न्यूनतम भंडारण अनिवार्यता से जोड़ा जाएगा।
2. महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी/एसटी, भूतपूर्व सैनिक, उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों, द्वीप समूहों, एवं आकांक्षी जिलों में जन औषधि केंद्र संचालकों को 2.00 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता आईटी और इन्फ्रा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में एक मुश्त दिया जाता है।

